डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार।

पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा (डोर स्टेप पशु चिकित्सा सेवा) सुविधा की व्यवस्था हेतु मोबाईल पशु चिकित्सा इकाई –Mobile Veterinary Unit (MVU) के परिचालन से संबंधित कार्यान्वयन अनुदेश में संशोधन।

M/s Bavya Health Services Pvt. Ltd. एवं डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की ओर से परियोजना निदेशक, बी0एल0डी0ए0, पटना द्वारा किये गये मोबाईल पशु चिकित्सा इकाई के परिचालन, प्रबंधन एवं अनुश्रवण से संबंधित एकरारनामा में "That AFRD, Bihar will formulate operational Protocol (SOP) for operation of MVUs, SOP may be modified from time to time by competent Authority of AFRD, Bihar as per need" उल्लेखित है। इसके आलोक में पूर्व निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश में निम्न प्रकार से बदलाव किये जाते हैं:–

1. सेवा प्रदाता कम्पनी M/s Bavya Health Services Pvt. Ltd. को निदेश दिया जाता है कि वे शिफ्टवार कॉल सेन्टर एक्सक्यूटिव एवं कॉल सेन्टर के पशु चिकित्सकों का शिफ्टवार रोस्टर तैयार कर 1962 कॉल सेन्टर का परिचालन 24X7 के तर्ज पर किया जाये।
2. MVU के पशु चिकित्सकों एवं कर्मियों का रिपोर्टिंग समय संबंधित पशु चिकित्सालय में 08:30 बजे पूर्वाह्न होगा। तद्नुसार इसका परिचालन समय पूर्वाह्न 08:30 बजे से अपराह्न4:30 बजे तक होगी।
3. MVU के अन्य अवकाश (पूर्व निर्णित के अतिरिक्त) पर निर्णय समयानुसार अलग से लिया जा सकेगा।
4. MVU पूर्वाह्न 08:30बजे से अपराह्न 01:30 बजे तक Call Centre से प्राप्त कॉल के आधार पर चिकित्सा के लिए प्रस्थान करेगा। अपराह्न 01:30 बजे से अपराह्न 04:30 के बीच प्रत्येक MVU अपने प्रखंड स्तरीय पशु चिकित्सक से प्राप्त लिस्ट के अनुसार एक गाँव में Camp करेंगे। प्रखंड स्तरीय पशु चिकित्सक इस संबंध में Camp का लिस्ट तैयार करेंगे। Camp अवधि में 1962 पर किसी पशु चिकित्सा के लिए निर्देश प्राप्त होने पर चिकित्सा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
5. एजेंसी द्वारा क्रय किये गये पशु दवा का सत्यापन प्रखण्ड पशु चिकित्सालय में कार्यरत पशु चिकित्सा पदाधिकारी के अध्यक्षता में गठित कमिटी करेगी जिसमें प्रखण्ड पशुचिकित्सक के अलावा दो और पशु चिकित्सा पदाधिकारी इसके सदस्य होंगे अतिरिक्त दो पशु चिकित्सा पदाधिकारियों को Random रूप से प्रत्येक दो माह में बदला जायेगा। कमिटी का गठन जिला पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा। यह कमिटी प्रत्येक माह दवा का जाँच कर जिला पशुपालन पदाधिकारी के माध्यम से प्रपत्र "क" में अपना प्रतिवेदन राज्यस्तरीय कमिटी को एवं प्रतिलिपि निदेशक, पशुपालन, बिहार तथा परियोजना निदेशक, बी0एल0डी0ए0, पटना को प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक MVU के लिए दवा क्रय हेतु अधिकतम राशि 35,000/–प्रति माह निर्धारित है।
6. प्रत्येक दिवस MVU के सभी चालक वाहन के परिचालन तथा वाहन में किसी भी तरह की मरम्मती–कार्य संबंधी विवरणी Log Book में संधारण करेंगे, जिसका सत्यापन MVU में कार्यरत पशु चिकित्सा पदाधिकारी करेंगे।
7. MVU में कार्यरत चालक MVU एजेंसी द्वारा प्रदत्त Petro Card से इंधन लेने के बाद विपत्र को अपने प्रखंड मुख्यालय में अवस्थित प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सा पदाधिकारी को सौंपेंगे, जो महीने के अंत में संकलित एवं सत्यापित कर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु जिला पशुपालन पदाधिकारी को प्रपत्र "ख" में सौंपेंगे। जो महीने के अंत में संकलित एवं सत्यापित कर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु राज्यस्तरीय कमिटी को एवं प्रतिलिपि निदेशक,

पशुपालन, बिहार तथा परियोजना निदेशक, बी0एल0डी0ए0, पटना को प्रस्तुत करेंगे।प्रत्येक MVU के लिए इंधन एवं मरम्मती (POL) में अधिकतम राशि 33,000/–प्रति माह के दर से व्यय किया जा सकेगा।

8. सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा MVU एवं कॉल सेन्टर में कार्यरत मानवबलों का उपस्थिति प्रतिवेदन तथा दवाईयाँ, ईधन एवं मरम्मति तथा अन्य से संबंधित विपत्रों को MVU के लिए गठित राज्यस्तरीय कमिटी के अध्यक्ष से अनुशंसित कराने के पश्चात् बी0एल0डी0ए0, पटना को भुगतान हेतु समर्पित करेंगे।
9. सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा डैश बोर्ड में प्रत्येक एम0वी0यू0 पर प्रत्येक दिवस को दवा उपलब्धता का विवरण (दिवसवार दवा का ओपनिंग एवं क्लोजिंग बैलेंस) प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक कार्यवाई की जायेगी। एम0वी0यू0 के पशु चिकित्सक द्वारा दवा भंडार में प्रविष्टी एवं वितरण संबंधी विवरणी का पंजी में संधारण की जाए। साथ ही, पारदर्शिता हेतु मोबाईल/टैबलेट/लैपटॉप के माध्यम से इसे डैश बोर्ड से भी जोड़ा जाये। सेवा प्रदाता कम्पनी भारत सरकार के सी–डेक द्वारा विकसित Drug & Vaccine Distribution Management System (DVDMS) की सहायता ले सकती है।
10. सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा डैश बोर्ड में टेली मेडीसीन के द्वारा भी दवा का पर्ची पशुपालक के मोबाईल पर उपलब्ध कराने संबंधी आवश्यक कार्रवाई की जाय। इस पर्ची को दिखा कर पशुपालक संबंधित पशु चिकित्सालय से दवा दो दिन के भीतर उपलबधता के आधार पर प्राप्त कर सकते है।
11. उक्त के निमित्त एवं बेहतर समन्वय हेतु प्रत्येक जिला में संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा एक व्हाटसएप्प ग्रुप का गठन किया जायेगा, जिसमें सभी प्रखंड मुख्यालय में अवस्थित प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय में पदस्थापित पशु चिकित्सा पदाधिकारी, जिलान्तर्गत सभी MVU के पशु चिकित्सक तथा MVU के जिला समन्वयक इस व्हाटसएप्प ग्रुप के सदस्य होंगे।
12. प्रखंड मुख्यालयों में पदस्थापित TVO के द्वारा महीने में चार बार, अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी द्वारा महीने में दो बार तथा जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र के संबंधित MVU का Random निरीक्षण कर संकलित प्रतिवेदन प्रत्येक माह पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।
13. On Demand Basis/ On Call Basis के तहत प्राप्त अनुरोध को Call Centreद्वारा Low Risk Cases को Telemedicine के द्वारा तथा Medium & High Risk Cases MVU को सौंपा जाएगा। आवश्यकता होने पर MVU के चिकित्सक/पारावेट संबंधित प्रखंड के पशु चिकित्सक पदाधिकारी/Call Centre के Telemedicineके पशु चिकित्सक से परामर्श प्राप्त करेंगे।
14. जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम कार्यदिवस को अपने जिले के MVU में कार्यरत पशु चिकित्सक, पारावेट एवं चालक–सह–अटेंडेंट का तथा Coordinator का अनुपस्थिति प्रतिवेदन परियोजना निदेशक, बी0एल0डी0ए0 को प्रेषित करेंगे एवं प्रतिलिपि निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना को समर्पित करेंगे।
15. 1962 कॉल सेन्टर में MVU का प्रमुख Command & Control System स्थापित किया जाए। जहाँ सभी MVU का Real Time Monitoring किया जाएगा। इस संबंध में MVU के Agency द्वारा Dash Board हेतु ID एवं Password उपलब्ध कराया जाएगा। जिला पशुपालन पदाधिकारी को भी उनके जिले के Dashboard का ID एवं Password एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
16. MVU के District Coordinator जिला पशुपालन पदाधिकारी को नियमित रूप से MVU से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे।

17. MVU के चिकित्सक पशुओं की चिकित्सा करने के उपरान्त पशु, पशु मालिक एवं अपना फोटोग्राफ लेकर चिकित्सा को Close करेंगे।
18. MVU के संबंध में शिकायतों के निवारण हेतु जिला स्तर पर जिला पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय में अलग से शिकायत कोषांग का गठन किया जाय एवं इसका अविलम्ब अनुश्रवन किया जाय।
19. विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों/योजनाओं के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु MVU का उपयोग किया जाय। इस हेतु विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं का जिंगल तैयार कर प्रसार हेतु समय–समय पर Agency को उपलब्ध कराया जाय।
20. Call Centre के द्वारा पशुपालकों से कॉल प्राप्त होने पर यह सूचना प्राप्त की जाए कि क्या वे DCS (डेयरी कॉपरेटिव सोसाइटी) से जुड़े हैं अथवा नहीं? अगर न जुड़े तो उन्हें DCS से जुड़ने हेतु प्रेरित करेंगे तथा इसकी सूचना COMFED को भी दी जाए।
21. MVU के द्वारा किये जा रहे कार्यों का समय–समय पर फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी किया जाय। साथ ही Agency द्वारा प्रत्येक दिन एक Good Practices का Case Study तैयार कर निदेशालय/IPRD/ सूचना प्रसार पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाय।
22. पूर्व में निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय।

ह०/–	ह०/–	ह०/–	ह०/–
प्राधिकृत पदाधिकारी, Bavya Health Services Pvt. Ltd.	परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना।	प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड, पटना।	निदेशक, पशुपालन, बिहार

ज्ञापांकः– बी०एल०डी०ए०–81/2021/P-II–479 पटना–14, दिनांक– 28/02/2026

प्रतिलिपिः– बाव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा० लि० को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

28/02/26
परियोजना निदेशक,
बी०एल०डी०ए०, पटना।

ज्ञापांकः– बी०एल०डी०ए०–81/2021/P-II–479 पटना–14, दिनांक– 28/02/2026

प्रतिलिपिः– सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/26
परियोजना निदेशक,
बी०एल०डी०ए०, पटना।

ज्ञापांकः– बी०एल०डी०ए०–81/2021/P-II–479 पटना–14, दिनांक– 28/02/2026

प्रतिलिपिः– सभी विशेष उपनिदेशक (प०वि०), वृहत पशु विकास परियोजना (मु०स्तर), बिहार, को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/26
परियोजना निदेशक,
बी०एल०डी०ए०, पटना।

316

ज्ञापांकः– बी०एल०डी०ए०–81 / 2021 / P-II–...479.. पटना–14, दिनांक– ..28.. / 02.. / 2026

प्रतिलिपिः– निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान–सह–अध्यक्ष, राज्य स्तरीय मोबाईल पशु चिकित्सा इकाई कमिटी, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/26

परियोजना निदेशक,
बी०एल०डी०ए०, पटना।

ज्ञापांकः– बी०एल०डी०ए०–81 / 2021 / P-II–...479.. पटना–14, दिनांक– ..28.. / .02.. / 2026

प्रतिलिपिः– निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

28/02/26

परियोजना निदेशक,
बी०एल०डी०ए०, पटना।

ज्ञापांकः– बी०एल०डी०ए०–81 / 2021 / P-II–...479.. पटना–14, दिनांक– ..28.. / .02.. / 2026

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

28/02/26

परियोजना निदेशक,
बी०एल०डी०ए०, पटना।

ज्ञापांकः– बी०एल०डी०ए०–81 / 2021 / P-II–...479... पटना–14, दिनांक– ..28.. / 02.. / 2026

प्रतिलिपिः– सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

28/02/26

परियोजना निदेशक,
बी०एल०डी०ए०, पटना।

ज्ञापांकः– बी०एल०डी०ए०–81 / 2021 / P-II–...479 पटना–14, दिनांक– ..28.. / 02.. / 2026

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

28/02/26

परियोजना निदेशक,
बी०एल०डी०ए०, पटना।

प्रपत्र -"क"

Medicine Stock Ledger

Date	Details of Purchased Medicine						Quantity of Medicine Purchased	Previous Stock (if any)	Total Quantity in the stock
	Name of the Medicine	Ingredients	Presentation of Medicine	Manufacturer's Name	Batch No.	Expiry Date			

प्रपत्र – "ख"

Medicine & Fuel Record							
Name of District – Month & Year -							
S. No.	Name of Block	Regd. No. of MVU	Monthly Expenditure on POL (Rs)				
			Distance Covered	Fuel		Maintenance (Rs)	Total (Rs)
				Quantity (Litre)	Amount (Rs)		
Grand Total							

10